

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

कन्हैयालाल पिता अर्जुनलाल नाई निवासी सिंहाणा, तहसील राशमी
बनाम

ग्राम पंचायत सिंहाणा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सिंहाणा पं.स. राशमी

प्रकरण संख्या 30/2019 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार उपस्थित। अधिवक्ता निगराकार ने निवेदन किया कि वे प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अतः निगरानी विड्रॉ फरमाई जावे। चूंकि अधिवक्ता निगराकार प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अतः निगरानी विड्रॉवल में खारिज की जाती है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय आदेश की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	